भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.: 2788

उत्तर देने की तारीख: 10.03.2026

पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना

2788. श्री उत्कर्ष वर्मा मधुर:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि देश के विभिन्न राज्यों में और विशेषकर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान और मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के लाखों छात्रों को वर्ष 2024-25 के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं हुई है;

(ख) क्या सरकार को जानकारी है कि विलंब के कारण कई छात्रों को महाविद्यालय शुल्क का भुगतान करने, परीक्षा में शामिल होने या उच्च शिक्षा प्राप्त करने में गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे शिक्षा में असमानता बढ़ रही है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा अब तक किए गए उपचारात्मक उपाय क्या हैं, लंबित भुगतानों की स्थिति क्या है और छात्रवृत्ति संवितरण की राज्यवार समयसीमा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का छात्रवृत्ति वितरण के लिए एक केंद्रीकृत ऑनलाइन निगरानी प्रणाली, स्वचालित भुगतान तंत्र और समयबद्ध जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए किसी नई नीति का विचार है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री रामदास आठवले)

(क) से (घ): सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति नामक केन्द्र प्रायोजित योजना कार्यान्वित करता है। यह योजना ओपन एंडेड और मांग आधारित है। इस योजना के तहत, छात्रवृत्ति प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खाते में जारी की जाती है। छात्रवृत्ति का केंद्रीय हिस्सा राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा अपने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के हिस्से के किए गए भुगतान संबंधी डेटा को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर साझा करने के उपरांत जारी किया जाता है। वित्त वर्ष

2024-25 के लिए अनुसूचित जाति के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के तहत उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान और मध्य प्रदेश सहित देश भर में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार लाभार्थियों और वितरित राशि का ब्यौरा **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

सरल और त्वरित संवितरण के लिए और लाभार्थियों के प्रभावी लक्ष्यीकरण को सुनिश्चित करने के लिए, योजना के तहत डीबीटी मोड के माध्यम से वितरण किया जाता है। इसके अलावा, फंड का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए, विभाग राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समाचार पत्रों में विज्ञापन देने, सोशल मीडिया पर अभियान चलाने और राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के साथ नियमित अनुवर्ती कार्रवाई करने जैसे विभिन्न कदम उठाता है। साथ ही, हितधारकों और राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकारियों के साथ राष्ट्रीय स्तर के चिंतन शिविरों, क्षेत्रीय बैठकों और राष्ट्रीय सम्मेलनों के माध्यम से योजना की नियमित रूप से निगरानी की जाती है।

इस योजना में सुधार इसलिए किया गया ताकि सबसे गरीब अनुसूचित जाति के परिवारों पर व्यापक प्रभाव डाला जा सके और यह समय पर भुगतान, पूरी जवाबदेही, निरंतर निगरानी और बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के पूर्ण पारदर्शिता के सिद्धांतों पर आधारित था। इसके अलावा, योजना के लिए निगरानी तंत्र को मजबूत करने के लिए, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर उचित नियंत्रण और संतुलन मौजूद है और लाभार्थियों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में केंद्र/राज्य स्तर पर छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाता है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन के माध्यम से अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना नामक एक केन्द्र प्रायोजित योजना कार्यान्वित करता है। आवेदनों के आमंत्रण और सत्यापन की जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की होती है। जनजातीय कार्य मंत्रालय प्रस्तावों की प्राप्ति और वास्तविक प्रगति के सत्यापन के बाद, व्यय विवरण (एसओई), उपयोगिता प्रमाण-पत्र (यूसी) आदि प्रस्तुत करने पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय हिस्सा जारी करता है। 2024-25 के दौरान उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और राजस्थान राज्यों को समय पर प्रस्ताव प्रस्तुत न करने, एसओई, यूसी जमा न करने और लंबित एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) अनुपालन के कारण धनराशि जारी नहीं की गई है। हालांकि, वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वितरित राशि का विवरण **अनुलग्नक-II** में है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं के दिशानिर्देश 31.03.2026 तक प्रभावी हैं। योजना दिशानिर्देशों में संशोधन एक निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए संबंधित हितधारकों के साथ परामर्श करने के बाद किया जाता है।

अनुलग्नक- I

पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के संबंध में श्री उत्कर्ष वर्मा मधुर द्वारा पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2788, जिसका उत्तर दिनांक 10.03.2026 को दिया जाना है, के भाग (क) से (घ) में संदर्भित अनुलग्नक-I

अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति (रुपये करोड़ में) के तहत वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान और मध्य प्रदेश सहित देश भर में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र-वार लाभार्थियों और वितरित राशि नीचे दी गई है:

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्त वर्ष 2024-25	
		जारी की गई केन्द्रीय सहायता (सीए) (रुपये करोड़ में)	लाभार्थी
1	आंध्र प्रदेश	605.71	303298
2	असम	8.74	12073
3	बिहार	23.97	73615
4	चंडीगढ़	2.70	1253
5	छत्तीसगढ़	39.96	87675
6	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव*	0.00	0
7	दिल्ली	22.19	4692
8	गोवा	0.08	58
9	गुजरात	399.93	157584
10	हरियाणा	94.89	55444
11	हिमाचल प्रदेश	35.64	33149
12	जम्मू-कश्मीर	4.09	6567
13	झारखंड	45.04	57784
14	कर्नाटक	422.90	404008
15	केरल	160.70	147531
16	मध्य प्रदेश	486.74	636303
17	महाराष्ट्र	929.92	362808
18	मणिपुर	6.76	7938
19	मेघालय	0.10	25
20	ओडिशा	181.51	191873
21	पुडुचेरी	3.20	2694
22	पंजाब	410.42	294284

23	राजस्थान	180.59	229002
24	सिक्किम	0.44	172
25	तमिलनाडु	1032.09	934793
26	तेलंगाना*	0.00	0
27	त्रिपुरा	51.61	19849
28	उत्तर प्रदेश	366.02	644827
29	उत्तराखंड	19.69	26216
30	पश्चिम बंगाल	26.63	108693
	कुल	5562.24	4804208

* केंद्रीय पोर्टल पर तेलंगाना राज्य और संघ राज्य क्षेत्र दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव (डीएनएच और डीडी) से किसी भी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा किए गए भुगतान संबंधी डेटा को साझा नहीं किया गया है।

अनुलग्नक-II

पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के संबंध में श्री उत्कर्ष वर्मा मधुर द्वारा पूछे लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2788, जिसका उत्तर दिनांक 10.03.2026 को दिया जाना है, के भाग (क) से (घ) में संदर्भित अनुलग्नक-II

अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संवितरण (रुपये करोड़ में) इस प्रकार है:

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वित्त वर्ष 2024-25 के लिए जारी निधि
1	अरुणाचल प्रदेश	98.09
2	छतीसगढ़	71.99
3	गोवा	6.23
4	गुजरात	504.5
5	हिमाचल प्रदेश	3.5
6	जम्मू-कश्मीर	2.99
7	कर्नाटक	168.09
8	केरल	36
9	लद्दाख	28.05
10	मध्य प्रदेश	257.26
11	महाराष्ट्र	142.85
12	मणिपुर	30.32
13	मेघालय	147.85
14	मिजोरम	42.35
15	नागालैंड	50.74
16	ओडिशा	154.64
17	सिक्किम	6.91
18	तमिलनाडु	31.99
19	त्रिपुरा	50.69
20	उतराखंड	4.07
21	पश्चिम बंगाल	27.04

*****